18.5.23	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.।
कार्यवाही [illegible]	प्रार्थी जानकन्न S/o नेमीचन्द की ओर से
	श्री कन्हैयालाल एड. ने वकालतनामा एवं
7.8.24	प्रार्थनापत्र U/s O1 R10 CPC का पेश कर
मोहन लाल पोरवाल एडवोकेट वकील वादी	प्रार्थी को पक्षकार प्रतिवादी बनाये जाने
	हेतु निवेदन किया, नकल वकील वादी को
उमाशंकर	दी गई, वकील वादी को पक्षकार बनाने में
पुरुषराम Id by	कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रार्थनापत्र
[illegible] (पुत्र [illegible])	O1 R10 CPC का स्वीकार किया जाता
	है, वकील वादी द्वारा संशोधित वादपत्र
जवाब	पेश किया जाना, जो शामिल पत्रावली किया
Id by जाडिया [illegible]	जाना। प्रति. क्र. 6 जानकन्न ने जवाबदावा
(बहादुर सिंह)	पेश किया, नकल वकील वादी को
	दी गई।
	वादी एवं प्रति. क्र. 1,2 व 6
	ने स्वयं इश्यू हेतु संशोधित [illegible]

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पेश मिसल, वादी की ओर से विद्वान वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान वकील प्रतिवादी हाजिर आये। राजीनामा पेश किया जाकर अंगूठा तस्दीक किया गया। वकील उभयपक्षगण द्वारा मुताबिक राजीनामा आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। मैंने द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा रेकार्ड, दलीलें अवलोकन करने के उपरान्त राजीनामा रेकार्ड के आधार पर राजीनामा मंजूर स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री किया जाता है, पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सांगोद जिला कोटा राजस्थान
बाइजलास दिव्यराज सिंह चूण्डावत आर. ए .एस.

क्र. नं. 52 दावा / बउनवान /2021 दायरा तिथि 5/10/21

कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज.। वादी

बनाम

1.उमाशंकर पुत्र परसराम जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

2.परसराम पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

3.बालकराम पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

4.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

5.भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत झालावाड राजस्थान सरकार कार्यालय मेन सचिवालय एस.पी.ऑफिस द्वितीय फलोर परवन भूमि अवाप्ति झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज.।

6. जसवन्त सिंह पुत्र तेजराज सिह जाति राजपूत नियासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज। प्रतिवादीगण

दावा बाबत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955
बटवारा कृषि आराजियात् व स्थाई निषेधाज्ञा ।

उपस्थित वकील वादी — श्री मोहन लाल पोटर एडवोकेट

2.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

वकील प्रतिवादीगण1व 2की ओर से चेतन प्रकाश सुमन व प्रतिवादी नं. 6 की ओर बहादुर सिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक 18/5/2023

निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जयें अधिवक्ता वाद इस आशय का पेश किया है कि वादी ने अपने खाते एवम् कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो निम्न प्रकार है–सव्वत 2074से 2077 के अनुसार माल ग्राम बोरदा की जमा बन्दी संख्या नई 7पुरानी 8 खसरा नम्बर 388 की 1.50 हैक्टरखसरा न. 393 की 1.52 हैक्टर खसरा नं.394की 0.11 हैक्टर कुल किता 3 की कुल क्षैत्रफल 3.13 हेक्टर की आराजी स्थित हे जिसमे वादी का 176/313 हिस्सा व प्रतिवादी 1 का 80/313 हिस्सा,प्रतिवादी 2 का 53/313 हिस्सा ,प्रतिवादी 3 का 4/313 हिस्सा निहित हे जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हे जिसका बटवारा करने का अधिकार वादी को हे, वाद पत्र की मद नं.1 मे वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादी 1 ता 3 के मध्य बटवारा वादी ने आराजी को कय करने के समय से निम्न प्रकार आराजी हिस्से मे आयी माल ग्राम बोरदा खसरा नम्बर 388 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 494की रकबा 0.11 हैक्टर,खसरा नम्बर 393 की रकबा 1.52 हैक्टर आराजी मे से पश्चिमि दिशा की 0.15 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.76 हैक्टर आराजी स्थित है जिसको वादी द्वारा पूर्व विकेता से कय के समय से ही वादी के शन्ति पूर्ण कब्जे काश्त मे चली आ रही है। जिसका विभाजन करवाने का विधिक अधिकार वादी को प्राप्त है, उक्त वर्णित आराजी मे से प्रतिवादी न.4 परवन सिचाई परियोजना के लिए खसरा नं. 388 की 1.50 हेक्टर मे से 0.27हे.व खसरा न.394 की 0.11हे. मे से 0.066 हे.हिस्से को अधिग्रहण करना चाहते है,तथा जो आराजी प्रतिवादी न.4 अधिग्रहण करना चाहते है वह आराजी हिस्सा वादी के कब्जे काश्त का हिस्सा है वादी ने प्रतिवादी न01 ता 3 से प्रतिवादी न0 4 द्वारा दिये नोटिस के बाबत् कहा तो प्रतिवादी 1 ता 3 वादी के बटवारे मे आई आराजी के अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर को लेने पर आमादा हुए इस पर वादी ने प्रतिवादी न0 4 व 5 से वादी के प्रतिकर की राशि को वादी को देने के लिए कहने पर प्रतिवादी 4 ता 5 ने वादी को स्पष्ट मना कर दिया तथा कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नही दिया ,तथा वादी को धमकी दी की प्रतिकर की राशि बंटवारा नही होता है तब तक सभी सह खातेदारान को हिस्से अनुसार सभी खातेदारन को देने की बात कही ,इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है की वादी बटवारे के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश करे कि वाद पत्र की मद नं.1 मे वर्णित आराजियात मे निहित वादी के हिस्से आराजी पर गत वर्ष विकास कार्य करवाने लगा तो प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा आनाकानी की इस पर वादी ने प्रतिवादी 1 ता 3 से उक्त आराजी का विधिवत बटवारा करवाने की कही इस पर भी प्रतिवादी 1ता 3 सहमत नही हुए इस पर पटवारी हल्का से बटवारा करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा सभी खातेदारान को उपस्थित होने बाबत् कहा इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी 1 ता 3 ने स्पष्ट मना कर देने से वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पडा, वादी ने प्रतिवादी नं. 4 से अधिगृहित भूमि के प्रतिकर की राशि वादी को दिये जाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी नं. 4

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

अधिगृहित भूमि के प्रतिकर की राशि का चेक प्रतिवादी नं.1 ता 3 को भी हिस्से अनुसार देने पर आमादा हे इस लिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये ओर वादी के कब्जे काश्त की आराजी का अधिग्रहण कर अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की राशि वादी को ही दी जावे,बटवारा नही होने तक प्रतिवादी 1 ता 3 को किसी तरह की कोई राशि का भुगतान किसी भी तरह से नही किया जाने के लिए पाबन्द करवावे माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो निम्न प्रकार है–सव्वत 2074से 2077 के अनुसार माल ग्राम बोरदा की जमा बन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
7	9	388	1.50 हैक्टर
		393	1.52 हैक्टर
		394	0.11 हैक्टर

कुल किता 3 की कुल क्षैत्रफल 3.13 हेक्टर की आराजी स्थित हे

जिसमे वादी का 176/313 हिस्सा व प्रतिवादी 1 का 80/313 हिस्सा,प्रतिवादी 2 का 53/313 हिस्सा ,प्रतिवादी 3 का 4/313 हिस्सा निहित हे सामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज सामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज आराजी का अलग से विभाजन कर वादी के अलग से खाता विभाजन कर माल ग्राम बोरदा खसरा नम्बर 388 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 494की रकबा 0.11 हैक्टर,खसरा नम्बर 393 की रकबा 1.52 हैक्टर आराजी मे से पश्चिमि दिशा की 0.15 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.76 हैक्टर को वादी के अलग से खाते दर्ज कर राज लगान भी पृथक करने की कृपा करें,इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे की वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी का जहा तक बटवारा नही हो वहा तक अधिगृहण की राशि प्रतिवादी 1 ता 3 को किसी भी रूप मे सुपुर्द नही करे .इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे की वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी का जहा तक बटवारा नही हो वहा तक प्रतिवादी 1 ता 5 किसी तरह से वादी को काश्त करने मे बाधा नही पहुचाये व किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा हस्तान्तरण नही करे इत्यादि पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जवाब देही का अवसर दिया गया प्रतिवादी नं. 3 व 5 बावजूद सूचना

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

अनुउपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई प्रतिवादी 4 ने जवाब पेश कर राज हित निहित नही होना बताया ,प्रतिवादीगण 1ता 2 जयै वकील उपस्थित तथा जसवन्त सिंह पुत्र तेजराज सिह जाति राजपूत निवासी दिल्लीपुरा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का पेश किया वादी ने अन्नापति की स्वीकार किया तत्तउपरान्त वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसमे जसवन्त सिंह को प्रतिवादी नं.6 के रूप मे पक्षकार बनाया गया तत्तउपरान्त प्रतिवादी 1 2 व 6 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया तत्पश्चात पक्षकारान ने वादी के वाद को स्वीकार करने की सहमति दी ओर राजीनामा पेश किया जो शामिल फाईलकर तस्दीक किया गया ।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ओर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड, इत्यादि का अवलोकन करने पर राजस्व रेकार्ड के आधार पर वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता हे तथा आदेश दिया जाता हे।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद राजस्व रेकार्ड व दस्तावेजात व राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता हे निम्न बटवारा कर राजलगान अलग अलग किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी हो ।

खाता 1

वादी कजोड पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज. माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा आराजी
7	9	388	1.5000हेक्टर	1.5000हेक्टर सम्पूर्ण
		394	0.1100हेक्टर	0.1100हेक्टर सम्पूर्ण
		393	1.5200हेक्टर	0.15हेक्टरपश्चिमीदिशा

कुल किता 3 की कुल क्षैत्रफल 1.7600 हेक्टर आराजी

खाता 2

प्रतिवादी नं.1 उमाशंकर पुत्र परसराम का हिस्सा 48 / 137

प्रतिवादी नं. 2 परसराम पुत्र गोपाल हिस्सा 53 / 137

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

प्रतिवादी नं.3 बालकराम पुत्र गोपाल हिस्सा 4/137 जातियान किराड निवासीयान दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रतिवादी नं.6.जसवन्त पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा का हिस्सा 32/137 इस प्रकार उक्त हिस्से अनुसार चारों के सामलाती

माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा आराजी	
7	9	393	1.5200हेक्टर	1.3700हेक्टर	पूर्वीदिशा

कुल किता 1 की कुल क्षैत्रफल 1.3700 हेक्टर आराजी

प्रतिवादी न.4 परवन सिचाई परियोजना के द्वारा लिए गये खसरा नं. 388 की 1.5000 हेक्टर मे से 0.2760हे.व खसरा न.394 की 0.1100हे. मे से 0.0660 हे.हिस्से आराजी को अधिग्रहण की गई आराजी की सम्पूर्ण राशि वादी को नियमानुसार भुगतान करे

उक्त आदेश के अनुक्रम मे राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे आराजी पर राजीनामा अनुसार रहन भार का नोट दर्ज किया जावे वाद व्यय पक्षकारान अपना स्वयं वहन करेगे नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो

निर्णय आज दिनांक 8/5/23 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

([illegible]वत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद बइजलास दिव्यराज सिंह चूण्डावत
(आर.ए.एस.) मुकाम सांगोद जिला कोटा

कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

वादी

बनाम

1.उमाशंकर पुत्र परसराम जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

2.परसराम पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

3.बालकराम पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

4.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

5.भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत झालावाड राजस्थान सरकार कार्यालय मेन सचिवालय एस.पी.ऑफिस द्वितीय फलोर परवन भूमि अवाप्ति झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज.।

6. जसवन्त सिंह पुत्र तेजराज सिह जाति राजपूत निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955
बटवारा कृषि आराजियात् व स्थाई निषेधाज्ञा ।

उपस्थित वकील वादी – श्री मोहन लाल पोटर एडवोकेट
वकील प्रतिवादीगण 1ता 2 श्री चेतन प्रकाश सुमन एडवोकेट 2.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

...ील प्रतिवादी नं.6 बहादुर सिंह एडवोकेट

निर्णय दिनांक 18/5 /2023

...मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू दिव्यराज सिंह चूण्डावत(आर.ए.एस.) व हाजरी मोहनलाल पोटर एडवोकेट व चेतन प्रंकाश सुमन एडवोकेट व बहादुर सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हे व डिग्री दी जाती हे कि डिक्री का विवरण नीचे अंकित है

खाता 1

वादी कजोड पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी कमोलर तहसील सांगोद

माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा आराजी		
7	9	388	1.5000हेक्टर	1.5000हेक्टर	सम्पूर्ण	
		394	0.1100हेक्टर	0.1100हेक्टर	सम्पूर्ण	
		393	1.5200हेक्टर	0.15हेक्टर	पश्चिमी	दिशा

कुल किता 3 की कुल क्षैत्रफल 1.7600 हेक्टर आराजी

खाता 2

प्रतिवादी नं.1 उमाशंकर पुत्र परसराम का हिस्सा 48 / 137

प्रतिवादी नं. 2 परसराम पुत्र गोपाल हिस्सा 53 / 137

प्रतिवादी नं.3 बालकराम पुत्र गोपाल हिस्सा 4 / 137 जातियान किराड निवासीयान दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रतिवादी नं.6.जसवन्त पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा का हिस्सा 32 / 137 इस प्रकार उक्त हिस्से अनुसार चारो के सामलाती

माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा आराजी		दिशा
9	393	1.5200हेक्टर	1.3700हेक्टर	पूर्वी	

कुल किता 1 की कुल क्षैत्रफल 1.3700 हेक्टर आराजी .

तिवादी न.4 परवन सिचाई परियोजना के लिए खसरा नं. 388 की 1.50 हेक्टर मे से 0.2760 हे.व खसरा नं.394 की 0.11हे. मे से 0.0660 हे.हिस्से को अधिग्रहण की गई आराजी की सम्पूर्ण राशि वादी को नियमानुसार भुगतान करे ,नियमानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती हे

यह डिकी आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18..माह...5....सन्.2023 को जारी की गई।

किशनलाल सिंह ...वत
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

मुहर उप खण्ड अधिकारी सांगोद